मांग संख्या 03

मुख्य शीर्ष 2055

मद कमांक 1

क्षेत्रीय महानिरीक्षक तथा संभागीय स्थापना के अधिकारियों /कर्मचारियों के यात्रा-भत्ता दौरे आदि के लिए राशि रूपये 2.83 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 2

पुलिस मुख्यालय की सामान्य शाखा के अधिकारियों /कर्मचारियों के यात्रा-भत्ता दौरे आदि के लिए राशि रूपये 20.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 3-4

पुलिस अकादमी एवं राज्य के अन्य भागों में स्थित पुलिस प्रशिक्षण शालाओं के अधिकारियों /कर्मचारियों के यात्रा-भत्ता दौरे आदि के लिए राशि रूपये 5.93 लाख एवं अन्य अनुरक्षण कार्य के लिए रूपये 6.30 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 200 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 5

पुलिस अकादमी एवं राज्य के अन्य भागों में स्थित पुलिस प्रशिक्षण शालाओं के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 2.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 6

प्रदेश के जिलों में पदस्थ सीआईडी स्टाफ के यात्रा-भत्ता दौरे आदि के लिए राशि रूपये 42.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 7-8

प्रदेश के विभिन्न जेलों में स्थित सशत्र बल की वाहनियों के अधिकारियों / कर्मचारियों के यात्रा-भत्ता दौरे आदि के लिए राशि रूपये 385.66 लाख एवं अन्य अनुरक्षण कार्य के लिए रूपये 63.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 200 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 9

सामान्य व्यय विशेष पुलिस के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 10-11

अन्य पुलिस बल के अधीन 18 वीं तथा 22 वीं वाहिनी सशत्र बल के अधिकारियों /कर्मचारियों के यात्रा-भत्ता दौरे आदि के लिए राशि रूपये 105.00 लाख एवं अन्य अनुरक्षण कार्य के लिए रूपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 200 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 12

नक्सल क्षेत्र में पदस्थ पुलिस कर्मियों को देय राशन भत्ता में वृद्धि के फलस्वरूप राशि रूपये 74.17 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 74,17,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 13

सामान्य व्यय जिला स्थापना के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 16.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 14

राज्य शासन द्वारा नक्सली हमलों से निपटने हेतु बुलेट प्रुफ वाहन (जीप 10 नग एवं सफारी जीप 02 नग) क्रय करने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु राशि रूपये 400.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 15

रेल पुलिस-पूर्वी विभाग के अधिकारियों /कर्मचारियों के यात्रा-भत्ता दौरे आदि के लिए राशि रूपये 21.25 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2070

मद कमांक 16-18

होमगार्ड बल में वृद्धि के फलस्वरूप सैनिकों को देय मानवेतन, धोबी/नाई खर्च एवं राशन भत्ता में राशि रूपये 348.70 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,48,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 6216

मद कमांक 19

पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन द्वारा लिए गए बकाया ऋणों के भुगतान हेतु राशि रूपये 515.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।